कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / **दिनांक–**

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, औरंगाबाद
जिला– औरंगाबाद

महाशय,

नगर परिषद, औरंगाबाद के वर्ष अप्रैल, 2016 से मार्च 2018 के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 93 / 18–19 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के 4 सप्ताह के अन्दर पूर्ववर्ती निरीक्षण प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर परिषद बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

–ह0–
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14772/60 **दिनांक–** 16.05.19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, औरंगाबाद

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना		
सामाजिक प्रक्षेत्र I		
निरीक्षण प्रतिवेदन सं.– 93/18–19		
भाग–1		
प्रस्तावना		
1	निरीक्षित कार्यालय का नाम	नगर परिषद, औरंगाबाद
2	निरीक्षित लेखा अवधि	अप्रैल, 2016 से मार्च 2018 इस अवधि में कोषागार में जमा/ निकासी की गई राशियों का कोषागार से सत्यापन किया गया।
3	विस्तृत जाँच का माह	मार्च 2018 मार्च 2017
4	लेखा परीक्षा की तिथि	31/01/2019 to 13/02/2019
5	कार्यालय प्रधान का नाम	अमित कुमार कार्यपालक पदाधिकरी नगर परिषद, औरंगाबाद
6	लेखा परीक्षा दल के सदस्य	श्री बिकास कुमार 2, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी श्री रवि रौशन, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी श्री सुजित कुमार, वरीय लेखा परीक्षक
7	पर्यवेक्षण पदाधिकारी	श्री कमल किशोर, वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी
8	पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति	पूर्व का निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षा को अप्राप्त था।
9	लेखा परीक्षा टिप्पणी	जिन आपत्तियों का निष्पादन निरीक्षण स्थल में नहीं हो सका उन्हें इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।
10	क्या आपत्तियों पर विचार–विमर्श किया गया?	हॉ
11	1 से 18 प्रोफार्मा (AAP से संबंधित)	अप्रस्तुत

दावा अस्वीकरण प्रमाणपत्र

(DISCLAIMER CERTIFICATE)

यह प्रारूप निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय कार्यपालक पदाधिकरी नगर परिषद, औरंगाबाद द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना, लेखा परीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उतरदायी नहीं होगा।

भाग– II (क)

कंडिका– 01 अनुदानों का ब्यपगत होना रू 162.96 लाख

नगर परिषद द्वारा संधारित बिल बुक के संवीक्षा में पाया गया कि वर्ष– 2016–17 में 14वाँ वित्त आयोग के अंतर्गत रू0 16295810.00 आवंटित की गई थी। परंतु इस राशि की निकासी कोषागार से नहीं हो सकी। विवरण निम्नवत है:–

क्रम सं0	राशि	विवरण	बिल सं0
1	8147905.00	14वाँ वित्त General Basic Grant द्वितीय किस्त केन्द्रांश राज्यादेश सं0–191/26.12.16 आवंटनादेश सं0– 192/26.12.16 विषय शीर्ष–3105	167/2016–17
2	8147905.00	तथैव विषय शीर्ष–3106	168/2016–17
कुल– 16295810.00			

उपरोक्त बिल की निकासी नहीं होने के कारणों से लेखा परीक्षा को अवगत नहीं कराया गया एवं संबंधित बिल की प्रति, संचिका एवं पंजी आवश्यक जाँच हेतु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि यह राशि भविष्य में प्राप्त हुई कि नहीं।

उपरोक्त अनुपालन के आलोक में बताया गया कि ऑनलाईन बिल जेनरेट नहीं होने के कारण प्राप्त आवंटन की निकासी नहीं हो सकी थी इसकी सूचना विभाग को देते हुंए पूनः आवंटन का भी अनुरोध किया गया था।

स्पष्ट है कि प्रणाली में चूक के कारण रू. 1.63 करोड़ की राशि की निकासी नहीं हो सकी जिससे बहुप्रतीक्षित विकासोन्मुखी योजनाओं को कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

भाग– II (ख)

कंडिका– 02(क) अनियमित कय (बिना निविदा प्रकाशन के) रू. 34.95 लाख

(ख) आपूर्तिकर्ता से विलंब शुल्क वसूल नहीं किया जाना तथा विलंब शुल्क की अधिकतम राशि का उल्लेख आपूर्ति आदेश में नहीं (रूपया 3.38 करोड़)

बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 के नियम :

नियम 131 च– कुल माँगों के आकलित मूल्य के संदर्भ में आवश्यक उच्चतर पदाधिकारियों की स्वीकृति प्राप्त करने की अनिवार्यता से बचने हेतु वस्तुओं के लिए माँग को छोटे टुकड़ों में बाँट कर खरीदगी नहीं करनी चाहिए।

नियम 131 विज्ञापित निविदा पूछताछ (i) रूपया 25,00,000.00 (पच्चीस लाख रूपया) एवं इससे अधिक आकलित मूल्य की सामग्रियों की अधिप्राप्ति के लिए विज्ञापन द्वारा निविदा आमंत्रण का उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों का विज्ञापन महानिदेशक, वाणिज्यिक गुप्तचर एवं सांख्यिकी, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित इण्डियन ट्रेड जर्नल(आई0टी0जे0) तथा कम से कम एक राष्ट्रीय स्तर पर अधिकाधिक प्रसार वाली दैनिक पत्र में किया जाना चाहिए।

(ii) कोई संगठन जिसका अपना वेबसाइट हो उस पर वह अपने सभी विज्ञापित निविदा पूछताछ को भी प्रकाशित करेगी एवं राष्ट्रीय सूचना केन्द्र की वेबसाइट के साथ लिंक मुहैया करायेगी। उसे आई0टी0जे0 एवं समाचार पत्र के विज्ञापनों में अपने वेबसाइट का पता भी देना चाहिए। (iii) संगठन को अपने वेबसाइट में समूची बिडिंग दस्तावेज को पोस्ट करना चाहिए तथा संबंधित बोलीकर्त्ताओं को वेबसाइट से दस्तावेज डाउन लोड कर उपयोग करने की अनुमति देनी चाहिए। यदि डाउन लोडेड दस्तावेज की कोई कीमत हो, तो बोली के साथ डिमांड ड्राफ्ट आदि द्वारा राशि के भुगतान हेतु बोलीकर्त्ता को स्पष्ट बताया जाना चाहिए।

कार्यालय, नगर परिषद, औरंगाबाद के वर्ष 2016–017 से 2017–18 तक के लेखा–अभिलेखों के नमूना लेखा परीक्षा जॉच क्रम में एल0ई0डी0 स्टीट लाईट क्रय से संबंधित उपलब्ध करायी गयी संचिका के अवलोकन में पाया गया कि कार्यालय द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 03/2015–16 के द्वारा *एल0ई0डी0 लाईट 60 वाट 8 मीटर उँचा सिंगल आर्म एम0एस0 पोल फिटींग्स सहित एवं 72 वाट 12 मीटर उँचां डबल आर्म एम0एस0 पोल फिटींग्स सहित* क्रय करने हेतु दिनांक 19/12/2015 को निविदा निकाली गयी। निविदा के कुछ महत्वपूर्ण शर्तों –(I) निविदादाता को कम्पनी द्वारा निर्धारित गारंटी के अतिरिक्त दो वर्षों का ए0एम0सी0 प्रोवाईड करना होगा, (II) सफल आपूर्तिकर्ता आपूर्ति आदेश प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर सामग्री की आपूर्ति कार्यालय में करनी होगी। निर्धारित समय पर आपूर्ति नहीं किये जाने पर प्रतिदिन 1 प्रतिशत की कटौती उनके विपत्र से कि जायेगी। कटौती की राशि (विलंब शुल्क) की अधिकतम राशि का निर्धारण आपूर्ति आदेश में दर्ज नहीं था।

उपरोक्त के संदर्भ में लेखा परीक्षा द्वारा निम्न आपत्ति/पृच्छा किया गया एवं दस्तावेज की मॉग की गयी:
बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 के वर्णित प्रावधानों (न्यूनतम 3 सप्ताह) के विरूद्ध केवल 15 दिन का समय निविदा जमा करने के लिए प्रावधानित किया गया साथ हीं उच्चाधिकारी की स्वीकृति से बचने के लिए निविदा में मॉग की गयी वस्तुओं के संदर्भ में मात्रा की घोषणा नहीं किया गया। लेखा परीक्षा के समक्ष साक्ष्य उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया, जिससे यह स्पष्ट होता हो कि निविदा निकाले जाने के पूर्व या क्रय किये जाने के पश्चात नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार को इसकी सूचना दी गयी थी या आदेश प्राप्त किया गया था।
आगे वित्तीय निविदा से संबंधित तुलनात्मक विवरणी के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि 7 आपूर्तिकर्ता द्वारा निविदा में भाग लिया गया था। सभी ने *एल0ई0डी0 लाईट 60 वाट 8 मीटर उँचा सिंगल आर्म एम0एस0 पोल फिटींग्स सहित एवं 72 वाट 12 मीटर उँचा डबल आर्म एम0एस0 पोल फिटींग्स सहित* का दर दिया था परंतु आपूर्ति लेते समय *72 वाट 08 मीटर उँचा सिंगल आर्म एम0एस0 पोल फिटींग्स सहित* का आपूर्ति लिया गया।

उपरोक्त के संदर्भ में लेखा परीक्षा द्वारा निम्न आपत्ति/पृच्छा किया गया एवं दस्तावेज की मॉग की गयी:
लेखा परीक्षा को यह जानकारी देने हेतु अनुरोध क़िया गया कि किन परिस्थितियों में आपूर्ति के समय 72 वाट डब्ल आर्म के जगह 72 वाट सिंगल आर्म परिवर्तित कर आपूर्ति लिया गया। अगर सिंगल आर्म 72 वाट हीं लिया जाना था तो इसके लिए अलग से निविदा क्यों नहीं निकाला गया या सभी 7 आपूर्तिकता से पुनः दर की मॉग क्यों नहीं किया गया। 72 वाट एल0ई0डी0 लाईट सिंगल आर्म एम0एस0 पोल सहित आपूर्तिकर्ता संतोष सेल्स, औरंगाबाद से हीं क्रय किये जाने के पीछे क्या कारण थे, यह लेखा परीक्षा में स्पष्ट नही किया गया।
आगे संचिका में संलग्न आपूर्ति आदेश संख्या 207 दिनांक 24/02/2016 के अवलोकन के ज्ञात हुआ कि संतोष सेल्स, औरंगाबाद को कुल 405 अदद 60 वाट एल0ई0डी0 लाईट की आपूर्ति का आदेश निर्गत किया था जिसे ओवरराईट कर 505 किया गया था परंतु पदाधिकारी का हस्ताक्षर प्राप्त नहीं किया गया

था जिससे दुर्विनियोजन कि संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। आपूर्ति आदेश संख्या 206 एवं 207 दिनांक 24/02/2016 के अवलोकन से यह भी प्रकाश में आया कि कार्य पूर्ण करने कि नियत तिथि को टंकित न कराकर ब्लैंक रखा गया था एवं बाद में दिनांक उल्लेखित किया गया था। इस संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि आपूर्तिकता को लिक्विडेटेड डैमेज चार्ज 1 प्रतिशत प्रतिदिन से बचाये जाने के लिए कार्य की समाप्ति के बाद कार्य समाप्ति का नियत दिनांक उल्लेखित नहीं किया गया हो। निविदा प्रकाशन में कार्य समाप्ति/सामग्री प्राप्ति के लिए 15 दिन नियत किया गया था।

उपरोक्त के संदर्भ में लेखा परीक्षा द्वारा निम्न आपत्ति/पृच्छा किया गया एवं दस्तावेज की मॉग की गयीः
लेखा परीक्षा को यह जानकारी देने के लिए कहा गया कि किन परिस्थितियों में आपूर्ति आदेश संख्या 207 दिनांक 24/02/2016 के क्रम 1 बसंत जी के बोरिग के बगल से गहलौत भवन, पोईवा हाउस शिव मंदिर होते पेट्रोल पम्प तक भाया पोस्टमार्टम हाउस पथ के लिए – क्वानटिटी 30 को 80 एवं सूर्य मंदिर से ठाकुरबाड़ी होते डीपो मोड़– 35 को 85 किया गया। कार्य समाप्ति कि नियत तिथी टंकित न कराये जाने/बाद में उल्लेखित करने एवं 2 माह से ज्यादा समय दिये जाने के पीछे क्या कारण थे जबकि क्रयादेश संख्या 25मु0, 26 मु0 दिनांक 30/08/2016 में मात्र 2 माह का समय कार्य समाप्ति हेतु नियत किया गया था, यह लेखा परीक्षा को नहीं बताया गया।

आगे आपूर्ति आदेश संख्या 25 मु0 दिनांक 30/08/2016 के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि कुल 235 अदद 72 वाट एल0ई0डी0 लाईट पुनःक्रय करने का आदेश निर्गत किया गया एवं 26 मु0 दिनांक 30/08/2016 के द्वारा 60 वाट एल0ई0डी0 लाईट पोल रहित क्रय करने का आदेश निर्गत किया गया जो कि निविदा में प्रकाशित भी नहीं किया गया था।

उपरोक्त के संदर्भ में लेखा परीक्षा द्वारा निम्न आपत्ति/पृच्छा किया गया एवं दस्तावेज की मॉग की गयी
लेखा परीक्षा को यह बताए जाने के लिए कहा गया कि किन परिस्थितियों में आपूर्ति आदेश पुनः निर्गत करने की आवश्यकता पड़ी। साथ ही लेखा परीक्षा को यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया कि निविदा प्रकाशित करने से पूर्व हीं आकलन क्यों नहीं किया गया एवं निविदा में क्रय किये जाने वाले कुल मात्रा को उल्लेखित क्यों नहीं किया गया। 60 वाट एल0ई0डी0 लाईट पोल रहित जिसके लिए निविदा भी प्रकाशित नहीं किया गया था तो फिर किन परिस्थितियों में कुल 315 अदद 60 वाट एल0ई0डी0 लाईट पौल रहित कुल रूप्या 34,96,500/– का क्रय किया गया, इससे लेखा परीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।
आगे संचिका में संलग्न क्रय आदेश संख्या 206 दिनांक 24/02/2016 एल0ईडी0 72 वाट 462 अदद, क्रयादेश संख्या 25 मु0 दिनांक 30/08/2016 72 वाट 235 अदद अर्थात कुल 697 अदद 72 वाट का क्रयादेश निर्गत किया गया। क्रयादेश संख्या 207 दिनांक 24/02/2016 60 वाट 505 अदद का क्रयादेश निर्गत किया गया परंतु आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रेषित किये गये इनभवाईस एवं पारित विपत्र के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि 72 वाट का कुल 605 एल0ई0डी0 लाईट का आपूर्ति किया गया अर्थात आपूर्ति आदेश से 92 कम एवं 60 वाट का 490 अदद अल0ई0डी0 लाईट की आपूर्ति कि गयी थी अर्थात आपूर्ति आदेश से 15 कम।

उपरोक्त के संदर्भ में लेखा परीक्षा द्वारा निम्न आपत्ति/पृच्छा किया गया एवं दस्तावेज की मॉग की गयी
लेखा परीक्षा को यह जानकारी देने के लिए कहा गया कि बिना पूर्वा आकलन के निविदा प्रकाशन करने एव क्रयादेश के मात्रा के अनुसार आपूर्ति न लिये जाने के क्या कारण थे।

आगे लेखा परीक्षा जॉच के क्रम में पाया गया कि आपूर्तिकर्ता को प्रथम क्रयादेश निर्गत किये जाने के बाद कार्य पूरा करने का तिथि दिनांक 30/06/2016 नियत किया गया था परंतु आपूर्तिकर्ता ने नियत

तिथि के उपरान्त एल0ई0डी0 का आपूर्ति किया फिर भी कार्यालय नगर परिषद, औरंगाबाद के द्वारा निविदा के शर्तों के प्रावधन के तहत निर्धारित 1 प्रतिशत प्रतिदिन के दर से विलंब शूल्क रूप्या 3,38,03,770/– नहीं लिया गया **(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट I पर संलग्न)।**

उपरोक्त पृच्छा आपत्तियों के अलोक में विचार विमर्श के दौरान बताया गया कि

1 वित्तीय निविदा खोले जाने के समय निविदा समिति के कार्यवाहीं पंजी पर सभी वैध निविदादाता का हस्ताक्षर अंकित है, जिसकी प्रति संलग्न की जा रही है

2 सशक्त स्थायी समिति के निर्णयानुसार तकनीकी कारणों से 12 मी0 के बदले 8 मीटर उॅचाई के पोल की आपूर्ति ली गयी थी जिसके लिए दर निगोशियेसन किया गया था

3 रख– रखाव/गारंटी अवधि अधिक वाले निवदादाता का दर न्यूनतम पर आपूर्ति ली गयी थी

उपरोक्त दिया गया जवाब अपूर्ण है। आपत्ति को यंथावत रखा जा सकता है।

कंडिका– 03 (क) सरकारी राशि की हानि रू. 0.58 लाख

(ख) निविदा के शर्तो के विरूद्ध आपूर्तिकर्ता को निबंधन एवं बीमा मद में अधिक भुगतान रू. 3.35 लाख

बिहार वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 442 विहित करता है कि एक सामान्य नीति के अन्तर्गत कोई भी सरकारी संपत्ति का बीमा नहीं कराया जाना है और उसके विरूद्ध कोई भी व्यय वित्त विभाग के पूर्व सहमति के बिना नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के नियम 146 के अनुसार कोई व्यक्ति (वाणिज्यिक उद्यमों के साथ जुड़े हुंए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार सहित) किसी सार्वजनिक स्थान में मोटर वाहन का उपयोग तब तक नहीं करेगा जब तक कि व तीसरे पक्ष के जोखिम का बीमा न करा ले। इस प्रकार व्यावसायिक गतिविधियों के लिए चलाए जाने वाले ट्रैक्टर/टीपर सहित सरकारी वाहनों के लिए तीसरे पक्ष का बीमा आवश्यक है।

कार्यालय, नगर परिषद, औरंगाबाद के वर्ष 2016–17 से 2017–18 तक के लेखा–अभिलेखों के नमूना लेखा परीक्षा जॉच क्रम में विषय : सफाई उपकरण (ट्रैक्टर–3, टेम्पो टीपर–6) से संबंधित उपलब्ध करायी गयी संचिका में संलग्न निविदा आमंत्रण सूचना के अवलोकन में पाया गया कि कार्यालय द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 03/2015–16 के द्वारा *ट्रैक्टर 35 एच0पी0 का हाईड्रोलिक ट्रेलर सहित एवं टेम्पो टीपर क्षमता 1.8 घन मीटर* क्रय करने हेतु दिनांक 19/12/2015 को निविदा निकाली गयी। निविदा के कुछ महत्वपूर्ण शर्तों –(I)सफल आपूर्तिकर्ता आपूर्ति आदेश प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर सामग्री की आपूर्ति कार्यालय में करनी होगी। निर्धारित समय पर आपूर्ति नहीं किये जाने पर प्रतिदिन 1 प्रतिशत की कटौती उनके विपत्र से की जायेगी। (II)निविदा में अंकित दर सभी देय टैक्स और अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में आपूर्ति करने सहित का अंकित रहेगा।

आगे आपूर्तिकर्ता के द्वारा ट्रैक्टर एवं टीपर के कराये गये बीमा से संबंधित प्रपत्र (संचिका में संलग्न) के अवलोकन/समीक्षा में पाया गया कि 3 ट्रैक्टर एवं 6 टीपर के लिए थर्ड पार्टी बीमा ना कराकर कमप्रिहैनसिभ बीमा कराया गया था जिसपर कुल रू0 8527 X 3 = 25,581 एवं 21154 X 6 =1, 26,924 अर्थात कुल रूपया 152505/– का भुगतान किया गया था जो कि परिहार्य व्यय था। बीमा से संबंधित संलग्न दस्तावेज के अवलोकन में पाया गया कि अगर उपरोक्त गाड़ियों का नियमानुकुल केवल थर्ड पार्टी बीमा कराया जाता तो सरकारी खाजाने पर रू0 57975/– की हानि न होती।

कम संख्या	गाड़ी	कमप्रैहेन्सिभ बीमा पर किया गया व्यय	थर्ड पार्टी बीमा कराये जाने पर व्यय	अन्तर राशि	अदद	कुल अधिक परिहार्य भुगतान
1	ट्रैक्टर	8527	2730	5797	3	17391
2	टीपर	21154	14390	6764	6	40584
कुल						**57975**

आगे निविदा प्रकाशन सूचना संख्या 03/2015–16 के अवलोकन से स्पष्ट है कि निविदादाता/ आपूर्तिकर्ता को निर्देश दिया गया था कि निविदा में अंकित दर सभी देय टैक्स और अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में आपूर्ति करने सहित का अंकित रहेगा परंतु आपूर्तिकर्ता के द्वारा नगर परिषद कार्यालय से निबंधन एवं बीमा के लिए अलग राशि की मॉग की गई एवं कार्यालय के द्वारा इस संदर्भ में कुल रू0 135000 एवं 310000/– अर्थात कुल रू0 4,45,000/– का भुगतान किया गया जो कि संभावित दूर्विनियोजन का धोतक है ।

उपरोक्त के संदर्भ में लेखा परीक्षा द्वारा निम्न आपत्ति/पृच्छा किया गया एवं दस्तावेज की मॉग की गयी:

उपरोक्त के संदर्भ में लेखा परीक्षा को अवगत कराने को कहा गया कि किन कारणों से प्रावधानों के विरूद्ध थर्ड पार्टी का बीमा ना कराकर कमप्रैहनसिभ बीमा कराया गया एवं निविदा के शर्तों के विरूद्ध निविदादाता को अलग से निबंधन एवं बीमा की राशि का भुगतान किया गया।

लेखा परीक्षा के आपत्ति के आलोक में बताया गया कि लेखा परीक्षा के सुझाव के अलोक में भविष्य में कार्रवाई की जाएगी।

उपरोक्त जवाब आपत्ति के बिन्दुओं पर स्वीकारोक्ति को स्पष्ट करता है ।

कंडिका– 04 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपभोक्ता शुल्क को लागू नहीं करने के कारण न्यूनतम रू0 68.44 लाख की हानि

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 128 एवं 228 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अन्तर्गत नगर निकाय क्षेत्र में घर– घर से प्रभार संग्रह के लिए शुल्क एवं दण्ड निर्धारित करने का प्रावधान है।

उक्त प्रावधान के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचना सं0– 3/UIG रिफार्म्स 10/2012–1251 दिनांक 12.07.2013 के द्वारा नगरपालिका क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उपभोक्ता शुल्क निर्धारित किया गया है। उपभोक्ता शुल्क की वसूली हेतु उपभोक्ता की श्रेणी को चार कोटी – (क) आवासीय (ख) गैर आवासीय (ग) स्वास्थ्य सेवा संस्थान (केवल गैर बायो–मेडिकल वेस्ट) एवं (घ) अन्य में बांटी गयी है। इनके लिए उपभोक्ता शुल्क की दरें अलग–अलग निर्धारित की गयी है, जो इस प्रकार है–

क्रम सं0	उपभोक्ता की श्रेणी	न्यूनतम मासिक शुल्क रूपये में
क	आवासीय	
I	आवासीय घर	25
II	मलिन एवं गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी के आवास	शून्य
ख	गैर आवासीय	
I	फूटपाथी दुकान	शून्य
II	दुकान, खानपान के स्थान(ढावा/मिठाई की दुकान/काफी हाउस इत्यादि)	75
III	रेस्टूरेंट, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, हॉस्टल	250
IV	सितारा होटल या उसके समतुल्य होटल	5000

V	व्यवसायिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बैंक, बीमा कार्यालय, कोचिंग क्लासेस, शैक्षणिक संस्थान	250
ग	स्वास्थ्य सेवा संस्थान, (केवल गैर बायो मेडिकल वेस्ट)	
I	क्लीनिक, डिस्पेंसरी, लेबोरेटरीज	150
II	अस्पताल (50 शाय्या तक)	1200
III	अस्पताल (50 शाय्या से अधिक)	2000
घ	अन्य	
I	धार्मिक स्थल	शून्य
		आकलन के अनुसार
II	नगर क्षेत्र में स्थित लघु और कुटीर उद्योग, वर्कशॉप (केवल गैर खतरनाक) अवशिष्ट 10 कि.ग्रा. प्रतिदिन	300
III	गोदाम, कोल्ड स्टोरेज(केवल गैर खतरनाक अवशिष्ट)	750
IV	शादी हॉल, उत्सव हॉल प्रदर्शनी एवं मेला	1500
V	अन्य, जो उपर चिन्हित नहीं है	नगरपालिका के आकलन के अनुसार

नगर परिषद औरंगाबाद कार्यालय द्वारा बताया गया कि बिहार नगरपालिका अधिनियम की उपरोक्त धारा एवं नगर विकास एवं आवास विभाग के निर्देश के अनुपालन में नगर परिषद् द्वारा उपभोक्ता शुल्क की वसूली नहीं की जा रही है।

नगर परिषद् औरंगाबाद, द्वारा नगर परिषद् क्षेत्रांतर्गत होल्डिंग्स की चारों श्रेणियों का वांछित आंकड़ा अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसके कारण उपभौक्ता शुल्क मद में वसूल किये जाने वाले वास्तविक राशि की गणना नहीं की जा सकी। नगर परिषद् कार्यालय द्वारा सिर्फ नगर परिषद् क्षेत्र के होल्डिंग की कुल संख्या बतायी गयी, जो निम्नवत् है:–

क्र.सं.	**वर्ष**	**आवासीय एवं अन्य होल्डिंग्स की कुल संख्या**
1	2016–17	11112
2	2017–18	11702

नगर परिषद् क्षेत्र में सरकार द्वारा लागू किये गये उपभोक्ता शुल्क की न्यूनतम दर रू0 25/– प्रतिमाह, जो आवासीय उपभोक्ता की श्रेणी के लिए निर्धारित है, के आधार पर गणना करने पर पाया गया कि नगर निगम को 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च, 2018 तक की अवधि में रू0 68,44,200/– के राजस्व की हानि हुई, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:–

क्र. सं.	**वित्तीय वर्ष**	**होल्डिंग्स की कुल संख्या**	**रू 25 प्रतिमाह प्रति उपभोक्ता की दर से प्राप्त होने वाली राशि**
1	2016–17	11112	12 X 11112 X 25= 3333600
2	2017–18	11702	12 X 11702 X 25= 3510600
		कुल	**68,44,200**

लेखा परीक्षा आपत्ति

1. सरकार की अधिसूचना के आलोक में उपभोक्ता शुल्क के राशि की वसूली नहीं की गयी जिससे नगर परिषद को 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च, 2018 तक की अवधि में रू0 68,44,200– के राजस्व की हानि हुई,।
2. नगर परिषद् कार्यालय में उपभोक्ताओं के श्रेणियों के निर्धारित वर्गीकरण के आधार पर अभिलेखों का संधारण नहीं किया गया था।

उपरोक्त अपत्ति के आलोक में बताया गया कि बोर्ड द्वारा अभी उपभोक्ता शुल्क लागू नहीं किया गया है। डोर टू डोर कूड़ा संग्रहण अभी नागरिकों के बीच आदत में लाने के लिए है। सुझाव के आलोक में भविष्य में कार्रवाई की जाएगी।

कंडिका– 05 सरकारी कार्यालयों/भवन के उपर सेवा शुल्क/परिसम्पत्ति कर की बकाया राशि रू. 1.36 करोड़

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 127 के खण्ड(3) एवं धारा की उप–धारा (1) द्वारा नगरपालिकाओं के भीतर अवस्थित सम्पत्तियों के वार्षिक कर निर्धारण हेतु बिहार नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली 2013 बनाया गया। यह नियमावली राज्य के अंतर्गत सैनिक छावनी क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण बिहार राज्य में लागू था। इसके तहत धृति/होल्डिंग की अवस्थिति धृतियों के वर्गीकरण का आधार निम्न है:

(क) धृति की अवस्थिति :–(i) प्रधान मुख्य सड़क पर की धृतियॉ (ii)मुख्य सड़क पर की धृतियॉ (iii)उप खण्ड (i) तथा (ii) से भिन्न धृतियॉ

(ख) धृति का उपयोग :–(i) पूर्णतः आवासीय, (ii) पूर्णतः वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक (चाहे स्वामित्व में हो या अन्यथा), (iii) अंशतः आवासीय एवं अंशतः वाणिज्यिक/औद्योगिक (iv) उप–खण्ड (i), (ii) और (iii) से भिन्न सभी धृतियॉ

बिहार नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली 2013 की धारा 4 के परंतुक के तहत नगर विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना 2726 दिनांक 11/11/2013 के द्वारा सरकारी भवनों पर सम्पति कर की जगह देय सम्पति कर का 75 प्रतिशत सेवा शुल्क के रूप में चार्ज किया जायेगा। कार्यालय, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, औरंगाबाद के वर्ष 2016–17 से 2017–18 तक के लेखा–अभिलेखों के नमूना लेखा परीक्षा जॉच के दरम्यान कर संग्राहक के द्वारा उपलब्ध कराये गय अभिलेखों, पंजी, संचिका के अवलोकन कम में संचिका में संलग्न प्रतिवदेन "विषय : सरकारी /अर्धसरकारी एवं पी0एस0यू0 भवनों पर वर्ष 2012–13 से 2017–18 मार्च तक भुगतान के संबंध में अवलोकन में पाया गया कि कैमूर जिले में अवस्थित 225 विभिन्न सरकारी कार्यालयों /भवन के उपर सेवा शुल्क/परिसम्पत्ति कर की कुल राशि बकाया रू0 **1,35,87,154** लाख थी। **(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट II पर)**

उपरोक्त के संदर्भ में लेखा परीक्षा द्वारा निम्न आपत्ति/पृच्छा किया गया एवं दस्तावेज की मॉग की गयी:

1 किन कारणों से 6 वर्ष तक सेवा शुल्क की राशि प्राप्त नहीं कि जा सकी, इसको स्पष्ट नहीं किया गया।

2 सरकारी कार्यालयों के द्वारा सेवा शुल्क की राशि न जमा किये जाने के आलोक में कार्यालय नगर परिषद, औरंगाबाद के द्वारा क्या–क्या कार्रवाई की गयी, इससे लेखा परीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।

3 बिहार नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली 2013 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि सितम्बर माह तक सेवा शूल्क की राशि न जमा किये जाने के आलोक में 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज की गणना अक्टूबर माह से की जायेगी तथा आंशिक

माह को भी पूर्ण माह माना जायेगा तो किन हालातों में ब्याज की गणना नहीं कि गयी, यह लेखा परीक्षा को स्पष्ट नहीं किया गया।

उपरोक्त लेखा परीक्षा आपत्ति के आलोक में बताया गया कि घृति कर वसूली हेतु समय– समय पर संबंधित विभागों को डिमाण्ड नोटिस जारी किया गया है तथा इससे विभाग को भी अवगत कराया गया है। विलम्ब से धृति कर जमा होने पर 1.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष लिया जाता है।

कंडिका– 06 अपूर्ण योजना पर व्यय रू0 214.50 लाख

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)–सबके लिए आवास योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधनों के अनुंसार लाभार्थी आधारित स्वयं निर्माण घटक में लाभ प्राप्त करने हेतु निम्न पात्रता थी

1 प्रधानमंत्री आवास योजना के मार्गदर्शिका के कंडिका 1.3 के अनुसार एक लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित पुत्र और/अथवा अविवाहित लड़कियॉ शामिल हैं।

2 लाभुक के पास पक्का घर नहीं होना चाहिए

3 मार्गदर्शिका के कंडिका 7 में वर्णित प्रावधान के अनुसार इस योजना में आवास का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के उन सभी लाभुकों को दिया जाने को प्रावधानित किया गया जिनकी वार्षिक आय रू0 3 लाख तक हो।

4 मार्गदर्शिका के कंडिका 7.1 में वर्णित प्रावधान के अनुंसार लाभुक के पास उनके स्वामित्व वाली भूमि होना आवश्यक है।

5 मार्गदर्शिका के कंडिका 7.2 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार लाभुक का नाम उस निकाय के सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 में होना प्रावधानित किया गया है।

6 लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास घटक के अन्तर्गत नये आवास निर्माण हेतु रू0 2 लाख एवं आवास विस्तार हेतु अधिकतम 1.5 लाख रू0 की धनराशि अनुदान के रूप में दिया जाना प्रावधानित था

कार्यालय, नगर परिषद, औरंगाबाद के अप्रैल 2016 से मार्च 2018 तक के लेखा–अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा जॉच के दौरान उपरोक्त योजना के लाभार्थियों से संबंधित संचिका के अवलोकन में सचिका में संलग्न कार्यापालक पदाधिकारी, नगर परिषद, औरंगाबाद के प्रतिवेदन "सबके लिए आवास (शहरी) योजना अन्तर्गत द्वितीय फेज लाभुकों की भुगतान की गयी विवरणी के अवलोकन में पाया गया कि कुल 225 लाभुकों को भुगतान (पूर्ण/आंशिक) किया गया जिसमें से 87 लाभार्थियों के संदर्भ में प्रति लाभुक 200000/– का भुगतान दिखलाया गया/योजना पूर्ण दिखलाया गया था एवं 143 लाभुकों के संदर्भ में बताया गया कि प्रति लाभार्थी प्रथम किस्त रू. 50,000/– एवं द्वितीय किस्त रू. 100,000/– कुल रू. 1,50,000/– की दर से रू. 2,14,50,000/– दो करोड़ चौदह लाख पचास हजार की राशि का भुगतान किया गया था। **(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट III पर)**

आगे कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी लाभार्थियों को की गयी भुगतान से संबंधित विवरणी की समीक्षा में पाया गया कि कुल 143 लाभुको को प्रति लाभुंक रू. 150000/– का भुगतान किया गया था। लाभुकों को प्रथम किस्त दिये जाने के 9 माह से 12 माह व्यतीत हो जाने के बावजूद 143 लाभुकों को तृतीय किस्त की राशि न दिये जाने के कारण सभी 143 योजना पूर्ण न हो पायी जिससे योजना पर कुल रू0 2,14,50,000/– व्यय होने के बावजूद योजना का लाभ लाभुकों को ससमय प्राप्त न हो सका।

उपरोक्त के सदर्भ में व्यक्त किये गये आपत्ति के अलोक में बताया गया कि आवंटन अनुपलब्ध रहने के कारण लाभुकों के आगे के किस्त का भुगतान नहीं हो सका है। आवंटन प्राप्त करने हेतु विभाग से पत्राचार भी किया गया है। योजना पूर्ण होने तक आपत्ति को यथावत रखा जा सकता है।

कंडिका– 07 बकाया दुकान किराया रू. 9.15 लाख

नगरपालिका लेखा नियमावली 2014 के नियम 62 के अनुसार नगर परिषद के संपत्ति से जैसेः– भूमि, दुकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आदि से मासिक प्राप्त होने वाले किराया के संदर्भ में मॉग पंजी का संधारण बीएमआर प्रपत्र 23 में किया जाना चाहिए।

कार्यालय नगर परिषद, औरंगाबाद द्वारा दुकान किराया से संबंधित मॉग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था जिससे दुकान किराया की वसूली की वास्तविक स्थिति ज्ञात नहीं हो सकी। नगर परिषद से प्राप्त विवरणी के अनुसार दिनांक 31.03.2018 तक दुकान किराया के रूप में कुल रू. 9,15,902 बकाया था। **(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट IV पर)**

उपरोक्त बकाया राशि की वसूली हेतु किये गये प्रयासों से लेखा परीक्षा को अवगत नहीं कराया गया। साथ ही दुकानों की संचिका, एकरारनामा एवं किराये के पुनरीक्षण से संबंधित संचिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपरोक्त आपत्ति के आलोक में बताया गया कि कर्मचारियों की कमी के बावजूद भी सार्थक प्रयास कर के बकाया किराया की वसूली की जा रही है जिसके लिए बराबर कर्मी द्वारा संबंधित दुकानदारों से व्यक्तिगत सम्पर्क किया जा रहा है।

जवाब संतोषप्रद नहीं है। किराया वसूली की दिशा में उचित कार्रवाई की जरूरत है।

कंडिका– 08 संचार टावरों के पंजीकरण और नवीकरण शुल्क की वसूली नहीं राशि रू 17.50 लाख

बिहार सरकार द्वारा संचार टावर संबंधित संरचना पर करों के सम्बन्ध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 दिनांक 08.10.2012 को अधिसूचित किया गया था।

उपर्युक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार कोई संचालक जो पूर्व में संचार टावर स्थापित कर चुका है या स्थापित करना चाहता है उसे संबंधित दस्तावेज तथा विहित अपेक्षित फीस के साथ नगरपालिका को आवेदन करना है।

नियमावली के नियम 6(1) के अनुसार नगर परिषद पंजीकरण शुल्क के रूप में रू. 40000 प्रति टावर एवं रू.10000 नवीकरण शुल्क प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है।

नियमावली 6(7) के अनुसार वार्षिक नवीकरण फीस पूर्ण वर्ष के लिए अग्रिम में देय होगा अथवा अनुपातिक रूप से देय होगा अगर पंजीकरण वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत की जाती है। वार्षिक नवीकरण शुल्क प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को देय होगा। अगर उस वित्तीय वर्ष का वार्षिक नवीकरण शुल्क 30 अप्रैल तक नहीं प्राप्त होता है, तो 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज उपार्जित तथा देय होगा। नगर परिषद औरंगाबाद के वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के लेखाओं की लेखा परीक्षा के दौरान नगर परिषद के द्वारा प्रस्तुत विवरणी के अनुसार कुल 45 संचार टावर नगर परिषद क्षेत्र मे अधिष्ठापित थे। विवरणी से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि दिनांक 31.03.2018 तक इन पर की बकाया राशि रू. 17,50,000 थी। **(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट V पर)**

उपरोक्त बकाया राशि की वसूली हेतु नगर परिषद द्वारा क्या प्रयास किये गये, इससे लेखा परीक्षा को अवगत नहीं कराया गया। मोबाईल टावर से संबंधित सर्वे प्रतिवेदन व मांग एवं वसूली पंजी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपरोक्त आपत्ति के अलोक में बताया गया कि लेखा परीक्षा के सुझाव के आलोक में सभी बकायादारों को डिमाण्ड नोटिस तैयार कर भेजने की कार्रवाई की जा रही है।

जवाब के अनुरूप कार्रवाई की आवश्यकता है।